भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 683
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए नियत

भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास

683. श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विदेश से भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और संयंत्रों का आयात किए जाने के बजाय देश में ही भारी इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त उद्योगों के घरेलू विकास से विदेशी भंडार की अनुमानत: कितनी राशि बचाए जाने की संभावना है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित भारी औद्योगिक उपकरणों और संयंत्रों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश को भारी औद्योगिक उपकरणों और संयंत्रों के निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्कीमों के अब तक के परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : घरेलू उपयोग और निर्यात प्रयोजनों के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने तथा विनिर्माण अवसंरचना में वृद्धि के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2014 में "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम" शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, 583.312 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 33 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों, अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं और क्षेत्र की कुछ विकासात्मक आवश्यकताओं का निवारण करना है।

इसके अतिरिक्त, स्कीम के चरण-I द्वारा बनाए गए प्रभाव का परिवर्धन और विस्तार करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2022 को 975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और उद्योग जगत के 232 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ कुल 1207 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया। "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम" के चरण-II के अंतर्गत अब तक 1363.87 करोड़ रुपये (उद्योग द्वारा उच्चतर अंशदान के कारण) तथा 960.63 करोड़ रुपये के सरकारी अंशदान की परियोजना लागत से कुल 32 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 318.49 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, घरेलू विनिर्माताओं को खरीद अधिमान प्रदान करने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत औद्योगिक वाष्प जनरेटर/बॉयलर संबंधी सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश (मेक इन इंडिया को अधिमान्यता) जारी किया गया है।

(ख) : इस मंत्रालय द्वारा ऐसे आँकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) : **पूंजीगत वस्तु उद्योग के उप-क्षेत्रों का उद्योग-वार पिछले पाँच वर्षों का आयात आंकड़ा (करोड़ रुपये में)**

क्र.सं.	पूंजीगत वस्तुओं का उप-क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	मशीन टूल्स-आयात	12390	10288	5965	7397	13671
2	डाई, साँचे और प्रेस उपकरण	5500	6356	6000	6382	6701
3	वस्त्र मशीनरी	13,106	11,233	8,137	15,002	23,369
4	मुद्रण मशीनरी- आयात	8922	8969	6814	7724	10,216
5	अर्थमूविंग और खनन मशीनरी	5600	4812	1336	1345	1530
6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी-आयात	1304	914	1860	3024	3477
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	4742	4487	1965	5610	7038
8	प्रक्रिया संयंत्र उपकरण	4200	4650	3024	3500	6317

उद्योग संघों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण क्षेत्र में पिछले पाँच वर्ष के दौरान आयात का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	आयात (करोड़ ₹ में)
2018-19	71,309
2019-20	67,937
2020-21	63,840
2021-22	81,422
2022-23	1,01,180

स्रोत: डीजीसीआईएस, आईईईएमए

(घ) और (ङ): भारी उद्योग मंत्रालय में कोई प्रत्यक्ष निर्यात संवर्धन स्कीम तैयार नहीं किया गया है। हालांकि, यह मंत्रालय निर्यात संवर्धन के लिए विनिर्माताओं के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य कर रहा है।

*****